[श्री मूल चन्द डागा]

गांवों और अन्य आदिवासी क्षेत्र के ग्रामीण अनु-जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की दयनीय एवं शोचनीय स्थिति की ओर केन्द्रीय सरकार का ध्यान आकृष्ट करूं । पूरे तीन वर्ष बरसात न होने से गरीब लोग भूख के कगार पर खड़े हैं । सरकार ने अभी तक राहत कार्य इन क्षेत्रों में नहीं खोले हैं । लोगों ने अपने घर के पीतल के बर्तन तक बेच दिये हैं और कर्जा इतना ले लिया है कि उनको अब कहीं से और कर्जा नहीं मिल रहा है । अकाल राहत कार्य न खुलने से लोगों की क्रय शक्ति टूट गई है । लोग भयंकर अकाल की चपेट में हैं । कई गांवों में पेय जल तक उपलब्ध नहीं हैं । चारे की भारी कमी के कारण पशु भारी संख्या में मरने लगे हैं। सस्ता धान पर्याप्त मात्रा में गांवों में नहीं मिल रहा है । राजस्थान सरकार की आर्थिक स्थिति ऐसी दयनीय है कि काफी ओवर ड्राफ्ट ले चुकी है और नये अकाल राहत कार्य चालू करने में असमर्थ है । ऐसी स्थिति में केन्द्रीय सरकार को अविलम्ब कार्य-वाही करनी चाहिए ताकि कुछ राहत मिल सके ।

(v) NEED FOR STOPPING SOFT-STONE MINING IN MUSSOORIE.

श्री हर श चन्द्र सिंह रावत : (अल्मोड़ा) मसूरी भारतवर्ष की सुन्दरतम पर्यटक नगरी है । यह नगरी शिवालिक की पहाड़ियों में स्थित है जहां कि अच्छी क्वालिटी का सोफ्ट स्टोन पाया जाता है । इस सोफ्ट स्टोन के खनन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कई लोगों को खनन कार्य के लिए लीज पट्टे दिये गये हैं । इन लीज धारकों द्वारा खनन नियमों की सर्वथा अवहेलना कर खनन कार्य किया जा रहा है जिसे न तो भारत सरकार व न प्रान्तीय सरकार के माइनिंग विभाग के अधिकारियों द्वारा निर्धारित नियमों का अनुपालन करवाते हुए सुव्यवस्थित करने की चेष्टा की जा रही है । खनन किये गये क्षेत्र को पुनः रिक्लेम करने के कार्य पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप भयंकर भू-क्षरण हो रहा है । इस सोफ्ट स्टोन पर आधारित कई भट्टियां देहरादून शहर के वातावरण को प्रदूषित कर रहीं हैं । इन भट्टियों में किसी भी प्रकार की प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था नहीं है ।

प्रदूषण, भू-क्षरण तथा अव्यवस्थित तथा सारे खनन कार्य से शिवालिक की पहाड़ी पर स्थित सुन्दरतम मसूरी के लिए खतरा पैदा हो गया है । इस क्षेत्र की वनस्पति नष्ट हो रही है । पेयजल के श्रोत सूख रहे हैं । मसूरी की कमर पर एक मेखला के रूप में किये जा रहे खनन से ऐसा प्रतीत होता है कि मानो शिवालिक की इन पहाड़ियों पर कोढ़ पैदा हो गया है । इस नगर का प्राकृतिक सौंदर्य नष्ट हो रहा है, जिसे तत्काल बचाया जाना आवश्यक है ।

स्थानीय लोगों द्वारा बराबर इस बात की मांग की जा रही है कि इस क्षेत्र में खनन कार्य को तत्काल बन्द किया जाये, जिस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए ।

वर्तमान खनन अधिनियम पूर्णतः खानों के लीज धारकों के पक्ष में हैं । इस अधिनियम के तथा इसके उपबन्ध के रहते प्रदेश सरकार के लिए यह अनिवार्य सा है कि वह इच्छुक वर्तमान लीज धारक को पुनः एक बार और 20 वर्ष के लिए माइनिंग कार्य हेतु लीज प्रदान करे । मैं समझत हूं कि इस उपबन्ध को तत्काल समाप्त करना आवश्यक है ताकि प्रदेश सरकार समाप्त हो रही लीजों को रिन्यू न कर सके ।

अतः खान मंत्रालय तथा पर्यावरण मंत्रालय को इस संदर्भ में तत्काल कदम उठाने चाहिए :

(vi) NEED FOR TAKING STEPS TO END LOCK-OUT IN THE HANSI COOPERATIVE SPINNING MILLS LTD.

SHRI SUSHIL BHATTACHARYA (Burdwan): Under Rule 377, I am making a statement.

The management of Hansi Co-operative Spinning Mills Ltd., in Haryana closed the mills since 20th January, 1982 following one day all India General Strike on 19th January 1982 as per call of the National Compaign Committee of Trade Unions.

On 24th January 1982 the management unilaterally declared lock-out illegally throwing about 1500 workers and staff on the streets. The management has circulated apology letters to the workers and asked them to fill these forms as a precondition for their resuming duties. Since the precondition hit the workers democratic right they did not agree to give such humiliating undertaking.

The Haryana Government has not intervened in the dispute and is openly siding with the management of the mill. It has not given permission to the Hansi spinning Mills workers' union and NCSM Progressive Association even to use loudspeakers for public meetings.

This attitude of the mill management and the Haryana Government is causing strong resentment among the mill workers and the population of the town and villages.

I would, therefore, urge upon the Union Labour Minister to intervene and take immediate steps so that the Hansi Co-operative Spinning Mills Ltd. is opened without any delay and all the workers are permitted to resume duties. The workers should be paid wages for the period of lock-out illegally imposed by the management. An enquiry should be conducted into the role of the local police and administration during the dispute.

(vii) ALLEGED HUMILIATION OF MUSLIM WOMEN BY ANTI-SOCIAL ELEMENTS IN ANDHRA PRADESH, KARNATAKA AND MAHARASHTRA.

SHRIMATI GEETA MUKHERJEE (Panskura): Mr. Deputy Speaker Sir, I raise the matter under Rule 377. Some goonda elements masquerading in the name of religion are raising a bogey that Muslim women cannot be allowed to see films. This phenomenon raised its head recently in some parts of Andhra, Karnataka and Maharashtra. These hooligans take to insulting demonstrations, in Hyderabad of Andra Pradesh, the sensible men and women of the Muslim community stopped it through popular protest. If this phenomenon is not checked firmly, it may spread to other States. While all the same people belonging to all communities and particularly those belonging to Muslim community should resist such uncalled for harassment to the Muslim womenfolk as was done in Hyderabad the Government also should take interest to stop this kind of move.

I would request the Home Minister to look into the matter urgently and persuade the State authorities to take effective action so as to protect the victims of such treatment firmly and take effective action against miscreants so as to obviate recurrence to such incidents.

(viii) POLICE ATROCITIES ON HARIJANS AND OTHER WEAKER SECTIONS OF SOCIETY IN AURANGABAD, BIHAR.

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, बिहार में हरिजन एवं गरीब पुलिस जुल्म के शिकार हो रहे हैं। विगत एक माह से पुलिस और बड़े लोगों के सांठ-गांठ से गया और औरंगाबाद जिले में कांच, परया और गोह प्रखंडों में हरिजन